

DEPUTY DIRECTOR (IMPLEMENTATION)

10

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 117.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप निदेशक (कार्यान्वयन) और अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भर्ती नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उप निदेशक (कार्यान्वयन) और अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उप निदेशक (कार्यान्वयन) और अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (कार्यान्वयन)	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पी बी-3, 15600— 39100 रु.+ ग्रेड पे 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)			(9)			(10)
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता			प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता			प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा			
(11)			(12)			
प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति :			
			1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :			
			(क)(i) जो अपने मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या			
			(ii) जिन्होंने पे बैंड-3, 15600-39100 रु. तथा ग्रेड पे 5400 रु. या समतुल्य पे बैंड और ग्रेड पे वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; या			

(12)

(iii) जिन्होंने पे बैण्ड-2, 9300-34800 रु. तथा 4800 रु. के ग्रेड पे या समतुल्य पे बैण्ड और ग्रेड पे वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या

(iv) जिन्होंने पे बैण्ड-2, 9300-34800 रु. तथा 4600 रु. के ग्रेड पे या समतुल्य पे बैण्ड और ग्रेड पे वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य;

वांछनीय :

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) या नीति के कार्यान्वयन में एक वर्ष का अनुभव ।

2. ऐसे विभागीय अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उसके चयन की दशा में उक्त पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्प अवधि की सविदा सहित)/स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन)	1* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पी बी-2, 9300— 34800 रु.+ ग्रेड पे 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष

(11)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा ।
सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए
प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा

(12)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन :

1. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो अपने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने पे बैण्ड-2, 9300-34800 रु. तथा 4200 रु. ग्रेड पे या समतुल्य पे बैण्ड और ग्रेड पे वाले पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य;

वांछनीय :

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) या नीति के कार्यान्वयन में एक वर्ष का अनुभव ।

सशस्त्र बल कार्मिक के लिए :

कनिष्ठ कमीशन आफिसर की पंक्ति के सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं । ऐसे चयनित व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । ऐसे पात्र अधिकारियों की दशा में, जो पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व ही सेवानिवृत्त या रिजर्व में स्थानान्तरित हो गए हैं उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी (सिविल पदों के संबंध में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) ।

[प्रतिनियुक्ति अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य विभाग/संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि की सविदा सहित)/स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)

पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के पुष्टि के संबंध में विचार के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :

1. उप सचिव/निदेशक, प्रशासन का भारसाधक, गृह मंत्रालय —अध्यक्ष
2. उप सचिव/उप निदेशक, राजभाषा विभाग —सदस्य
3. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग —सदस्य
4. अवर सचिव (प्रशा. I), गृह मंत्रालय —सदस्य

(14)

जब कोई अधिकारी आमेलन द्वारा नियुक्ति किए जाने के लिए विचार के क्षेत्र में हो और प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन पर नियुक्ति किए जाने के लिए विचार के क्षेत्र में कोई सशस्त्र बल कार्मिक हो तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/01/2010-प्रशा. V]

अरविन्द मुखर्जी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2011

G.S.R. 117.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Deputy Director (Implementation) and Research Officer (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1986, namely :—

(1) These rules may be called the Deputy Director (Implementation) and Research Officer (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment (Amendments) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Deputy Director (Implementation) and Research Officer (Implementation), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1986, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director (Implementation)	01* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	PB-3, Rs. 15600—39100 with the Grade Pay of Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(8)				(9)	(10)	
Not applicable				Not applicable	Two years for promotees	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods				In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made		
(11)				(12)		
Deputation/promotion				Deputation/promotion : 1. Officers under Central Government :— (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in their parent cadre; or (ii) With five years' regular service in PB-3, Rs. 15600—39100 with the Grade Pay of Rs. 5400 or equivalent; or		

1305 HA/11-4

(12)

(iii) With six years' regular service in PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent; or

(iv) With seven years' regular service in posts PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience.

Essential :

(i) Master's Degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at degree level

OR

(ii) Master's Degree of a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at degree level.

Desirable :

One year experience in implementing the Official Language Act, 1963 (19 of 1963) or policy.

2. The Departmental Research Officer (Implementation) with seven years regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

[The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.]

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary .

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Research Officer (Implementation)	01* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for Armed Forces Personnel re-employed
(11)	(12)	
Deputation/absorption For Armed Forces personnel Deputation/re-employment	Deputation/absorption : Officers under Central Government :— (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in their parent cadre/department; or (ii) With five years' regular service in post in PB-2, Rs. 9300—34800 with the Grade Pay of Rs. 4200 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience. Essential : (i) Master's Degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at degree level OR (ii) Master's Degree of a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at degree level. Desirable : One year experience in Official Language Act, 1963 (19 of 1963) or policy. For Armed Forces Personnel : The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possess the educational qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces, thereafter, they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts). [The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/organization shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.]	

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation of Armed Forces Personnel re-employed :— 1. Deputy Secretary/Director, in-charge, —Chairman of Admn., MHA 2. Deputy Secretary/Deputy Director, —Member Department of Official Language 3. Deputy Director (Implementation), —Member Department of Official Language 4. Under Secretary (Ad.I), MHA —Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary when an officer is in the field of consideration for appointment on absorption and when armed forces personnel is in the field of consideration for appointment on deputation/re-employment.